# फर्द अहकाम

## न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री पूरणमल खटीक** | विपक्षी :– **श्री लहरीलाल वगैरह**

किस्म मुकदमा :– **विविध आ.9नि.4** | पत्रावली संख्या :– **133/25 विविध**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/473**

| क्रमांक | कार्यवाही विवरण | हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई |
|---|---|---|
| | दिनांक : 09.09.2025<br>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 3, 5 के समन पूर्व में बाद तामील प्राप्त। विपक्षी संख्या 1, 2, 4 के समन अखबार में छाया करवाकर अखबार की प्रति पेश की। विपक्षी संख्या 1 से 5 को निरन्तर आवाजे दिलवाई गई। अनुपस्थित है। अतः विपक्षी संख्या 1 से 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 6 से 8 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जवाब पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा बहस का निवेदन किया गया। बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण की सुनी गई।<br>अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। जहॉ तक प्रार्थना पत्र प्रस्तुति में हुऐ विलम्ब की अवधि का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थीगण का कथन है कि अधिवक्ता द्वारा हम प्रार्थीगण को को कहा गया कि न्यायालय में जरूरत पड़ने पर आपको सूचित कर बुला लिया जावेगा। हम प्रार्थीगण ग्रामिण परिवेश के होने से कानून की जानकारी नही है। इस कारण से अधिवक्ता के कहने से हम न्यायालय में उपस्थित नही हो सके। जब मौके पर कुछ लोगो द्वारा हमे बेदखल कर कब्जा करने का प्रयास किया तब हम न्यायालय में उपस्थित हुए तब जानकारी हुई की हमारे द्वारा नियुक्त अधिवक्ता द्वारा उपस्थित नही देने तथा हमे भी जानकारी नही देने से प्रकरण अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज हो गया। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण को अपने अधिकारो के प्रति सजग रहना चाहिए था। परन्तु वैसे भी विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत् न्यायालय को लचीला दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुती में हुऐ विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है एवं देरी की अवधि को कन्डोन किया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट् द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 अवधि अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।<br>मूल पत्रावली संख्या 235/17 बंद का अवलोकन किया। प्रकरण | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested

में दिनांक 05.12.2014 को वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया था। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि मूल प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का था। जिसको केवल मात्र अदम हाजरी, अदम पैरवी में खारिज किया गया। जिसमें कृषि भूमि में हक अधिकार तय नही किए गए। प्रकरण प्रारम्भिक स्टेज पर है। हम प्रार्थी द्वारा बताए गए विभिन्न कारणों से सहमत है। प्रकरण कृषि भूमि में घोषणा का होने से प्रार्थीगण के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ेगा। इस मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुना जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता हैं।

**—: आदेश :—**

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 अवधि अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 जा.दी. का 200/— दो सो रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 235/11 वाद पूरणमल खटीक बनाम लहरीलाल मेघवाल में पारित आदेश दिनांक 05.12.2014 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने के आदेश दिये जाते है। प्रकरण में प्रार्थी उक्त कोस्ट की राशि राजकोष मे जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उभय पक्षकारान मूल वाद में दिनांक 09.10.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

**(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)**
**सहायक कलक्टर**
**(SDO) मावली**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.09.17 18:30:48 IST
Reason: SelfAttested